छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-फरवरी, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2014 (फाल्गुन 5, 1935)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2013-2014 के बजट की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा **पटल पर रखेंगे.**

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि के लिए) **पटल पर रखेंगे.**

(3) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 **पटल पर रखेंगे.**

(4) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 **पटल पर रखेंगे.**

(5) श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 **पटल पर रखेंगी.**

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री दीपक बैज, सदस्य, बस्तर जिले के लोहड़ीगुड़ा अस्पताल में महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन में लापरवाही बरते जाने से एक महिला की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सदस्य, जिला कोरिया अंतर्गत संचालित शासकीय लाहड़ी महाविद्यालय चिरमिरी में प्राध्यापकों व मूलभूत सुविधाओं की कमी होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमशः 2

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामलाल चौहान, सदस्य, सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पलसापाली व अमरकोट के बीच नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(2) श्री लाभचंद बाफना, सदस्य, साजा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) साजा में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बिस्तर से 50 बिस्तर में उन्नयन करने,

(ii) बोरतरा में पशु चिकित्सालय की स्वीकृति करने,

(iii) हेड़सपुर घिवरी करूहा नदी में पुल निर्माण करने,

(3) श्री राजमहंत सांवला राम डाहरे, सदस्य,

(i) अहिवारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भिलाई 03 में संचालित प्राथमिक शाला का नवीन भवन व अहाता निर्माण करने,

(ii) अहिवारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भिलाई 03 में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का 30 बिस्तर अस्पतालमें उन्नयन करने,

(iii) अहिवारा विधान सभा क्षेत्र में डाईट प्रशिक्षण केन्द्र खोलने,

(iv) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत चांपा से व्हाया सक्ती डभरा-चन्द्रपुर तक फोरलेन मार्ग निर्माण करने,

(v) जिला बलौदाबाजार अंतर्गत पलारी (घोटिया) सिरपुर रोड के मध्य स्थित नहर पर पुल निर्माण करने,

(4) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य, जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम पाली में मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम पेंड्री जांजगीर में मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(iii) ग्राम कुथूर में मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(iv) ग्राम भेंसमुड़ी में मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(v) ग्राम मेंहदा में मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(vi) ग्राम तेंदुआ में मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(5) श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य, डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम धोबनी से घोटिया मार्ग एवं नदी पर पुलिया निर्माण करने,

(ii) हितकसा-कोड़ेकसा-माटरी मार्ग का डामरीकरण करने,

(6) डॉ. सनम जांगड़े, सदस्य, जिला बलौदाबाजार अंतर्गत -

(i) ग्राम खपरीडीह में हाई स्कूल खोलने,

(ii) ग्राम कुम्हारी में हाई स्कूल खोलने,

(iii) ग्राम अर्जुनी (ब) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने,

(7) डॉ. खिलावन साहू, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत -

(i) अमरूवा से कुम्हारीकला के बीच सोन नदी पर पुल निर्माण करने तथा

(ii) पलाडीखुर्द एवं चोरिया के बीच सोन नदी पर पुल निर्माण करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

क्रमशः 3

5. मंत्री का वक्तव्य

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, दिनांक 18 फरवरी, 2014 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या- 12 (क्रमांक-1214) के पृथक वितरित उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक,2014 (क्रमांक 6 सन् 2014) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक,2014 (क्रमांक 7 सन् 2014) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2014-2015 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय

2 घंटे 30 मिनट (चर्चा क्रमश:)

मांग संख्या	15	अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	33	आदिम जाति कल्याण
मांग संख्या	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना
मांग संख्या	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
मांग संख्या	49	अनुसूचित जाति कल्याण
मांग संख्या	53	अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	64	अनुसूचित जाति उपयोजना
मांग संख्या	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
मांग संख्या	68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन
मांग संख्या	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	27	स्कूल शिक्षा

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014) का पुर:स्थापन *करेंगे.

रायपुर
दिनांक 23 फरवरी, 2014

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव.

---

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात् .